Deputation:

Officers of the Central Govt . (a) (1) Holding analogous posts on regular basis: Or (11) With five years regular service in the scale of Rs 5500-9000 or equivalent; Or (11) With eight years' regular service in the posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and

(b) Possessing three years experience in administration, Establishment and accounts matters

Note:

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment of deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion,

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appronument in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

[F No CP/0407]

M N. SUKMARAN, Under Secy

Foot note:—The principal rules, 1996 were published in the Gazette of India. Part II, Section 4, dated 09 Mar 1996 under notification of the Government of India, in the Ministry of Defence SRO No. 31 dated 28 Feb 1996

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2000

का.नि.आ. 283.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (सिविल निर्माण काडर) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, निर्माण स्थापन में राजपत्रित अधिकारी (समूह ''क' और ''ख') के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (सिविल निर्माण अधिकारी काडर) भर्ती नियम, 2000 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता :-- वह व्यक्ति--
 - (क) जिसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसे अपने पति या पिनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिव्त :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ण या प्रवर्ण के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अमेक्षित है।

				अनुसूची		
ाद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण .	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन अथवा चयन सह ज्येष्ठता या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य कार्यपालक (सिविल निर्माण और संपदा)	01* (2000) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (तकनीकी)		योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	हए जाने वाले व्य क्षक और अन्य अ		आयु और	किए जाने वाले व्यक्तियों के क्रैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति गी या नहीं	•	ता की अवधि, यदि कोई हो
	(8)					
	तागू नहीं होता	<u></u>		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	।। तथा विभिन्न प	गी या प्रोन्नति द्वारा य द्धतियों द्वारा भरे ज		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेर प्रतिनियुक्ति/आमेलन कि		वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
(11)			(12)			
प्रोन्नति द्वारा	, जिसके न हो स	कने पर प्रतिनियुकि	त द्वारा।	प्रोन्नति: — ऐसा मुख्य सं सेवा की है।	निर्माण इंजीनियर जिसने	उस श्रेणी में पांच वर्ष नियग्
				सेवा पूरी कर ली है, प्रोह व्यक्तियों के संबंध में भी की गई ऐसी अर्हक/पात्रत मं या दो वर्ष मे, इनमें से व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	नित के लिए विचार किय विचार किया जाएगा, पर 11 सेवा, अपेक्षित अर्हक/ जो भी कम हो, कम न हो वे ऐसी अर्हक/पात्रता सेव	में जिन्होंने अपनी अर्हक/पाः । जा रहा हो, वहां उनसे ज्ये न्तु यह तब जब कि उनके ह पात्रता सेवा के आधे से अधि और उन्होंने अपने ऐसे कि । पहले पूरी कर ली है, अग की अवधि सफलता पूर्वक

कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:--

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (11) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—पेापक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोत्रिति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काढर बाष्ट्रयपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) लागू नहीं होता

जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास

संगठन अध्यक्ष 2. महानिदेशक, अनुसंधान और विकास मदस्य

 दो मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधा । और विकास संगठन/वैज्ञानिक सदस्य 'एच'

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

मुख्य मनिर्माण 04* साधारण केन्द्रीय 16400-450- योग्यता के आधार इंजीनियर (2000) सेवा, समूह 'क', 20000 रु॰ पर चयन

*कार्यभार के राजपत्रित आधार पर (तकनीकी) परिवर्तन जा सकता है 50 वर्ष से अधिक नहीं लागू नहीं होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनु-सार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक को जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यधियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी

आवश्यक :---

>

[भाग II—खण्ड **4**]

(1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य;

(8)

- (2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या निष्पादन का 12 वर्ष का अनुभव;
- (3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की यृहत् समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/ निष्पादन का अनुभव; या

सपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवसाय, वृक्ष संव-धंन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि अधि-ग्रहण संबंधी विधियों,भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेपज्ञीय जानकारी।

(11)

दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोत्रति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या भृतपूर्व सैनिक अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति द्वारा और (12).

प्रोन्नति: ऐसा अपर मुख्य इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण:—1 ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो 1-1-1996 पूर्व संयुक्त निदेशक (संकर्म) का पद धारण किए हुए हैं; अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस श्रेणी में की गई नियमित संवा की भी संगणना की जाएगी।

2. ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो 1-1-1996 के पश्चात् संयुक्त निदेशक (संकर्म) या/और अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद धारण किए हुए हैं, संयुक्त निदेशक (संकर्म) और अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर की पूर्वोक्त श्रेणियों में की गई नियमित सेवा की भी गणना की जाएगी।

3. जहां ऐसे किनच्छ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहै क/पार्त्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो, भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अहंक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय मरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी :--

- (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (n) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण :—पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना से कर्नल या समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी :-

- (1) जिनके पास उस पंक्ति में कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की बृहद् समय-बद्ध परियोजनाओं के सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निष्पादन का पांच वर्ष का अनुभव है या ऐसे लैफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य जिन्होंने उस पंक्ति में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि में रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर खा जाएगा जिसके उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के, पद पर उनके वास्तविक चयन से पूर्व, सेवा निवृत्त होने या 'रिजर्व' में स्थानांतरित किए जाने की दशा में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

टिप्पण: [प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिमके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति मे ठोक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(14)(13)संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। समह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :--अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास 1. अध्यक्ष मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/ 2. सदस्य वैज्ञानिक 'एच' मुख्य कार्यपालक, 3. सदस्य (सिविल निर्माण और संपदा) कार्मिक निर्देशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपर मुख्य संनिर्माण	8* (2000)	या		योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनु- सार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह	लागू नहीं होता

(6)

अंतिम तारीख जो असम, मेधालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बिहित की गई है)।

मीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(8)

(१) नहीं

(10)

आवश्यक :

 (1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिक इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।

- (2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निप्पादन का दस वर्ष का अनुभव।
- (3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की वृहत् समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/
 उसके निष्पादन का अनुभव; या।
 मंपदा प्रवंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों,
 मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के
 लिए नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवसाय, वृक्ष
 संवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और
 उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि
 अधिग्रहण संबंधी विधियों,भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर
 मंपत्ति की वाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े
 पर लेने से मंबंधित नियमों की विशेपज्ञीय जानकारी।
 वांछनीय: मान, समायोजन/बजट मानीटर करने और
 परिमाण सर्वेक्षण करने का ज्ञान।

(12)

(11)

50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रति-नियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। प्रोन्नित : ऐसे मुख्य संनिर्माण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं। टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी :--

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;
- (॥) जिन्होंने 12000-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं। टिप्पण:—पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : (सैनिक अधिकारी)

सेना से कर्नल समतुल्य या समतुल्य ले. कर्नल/समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी:--

- (i) जिन्होंने उस पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (11) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृन होने वाले हैं या 'रिजर्ब' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसके उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण: (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अविध है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतक आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

	(13)		(14)
यम्ह '	क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में ।	विचार करने के लिए),	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है
•	निम्नलिखित होंगे :		
1.	अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान	और विकास	
	मं गठन	अध्यक्ष	1
2.	मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठ	उन/	
	वंज्ञानिक 'एच'	— सदस्य	I
3.	मुख्य कार्यपालक,		
	(सिविल निर्माण और संपदा)	सदस्य	t
4.	निदेशक कार्मिक,		
	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—मदस्य	ī

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
 टप-	10*	साधारण केन्द्रीय	12000-375-	योग्यता के आधार	45 वर्ष से अधिक नहीं	लागू नहीं होता
मुख्य	(2000)	मेवा, समूह 'क',	16500/- ₹	पर चयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर	
यंनिमाण		राजपत्रित			किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनु-	-
इजीनियर	*कार्यभार के	(तकनीकी)			सार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल	
	आधार पर	•			करके पांच वर्ष तक की जा सकती	
	परित्रतंन किर	म			है।)	
	जा सकता है				टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने	ा के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्या	र्थयों
					से आवेदन प्राप्त करने केलिए नियत	की

(6)

गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

(१) नहीं

आवश्यक :

.t.

(1) मिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।

- (2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निप्पादन का दस वर्ष का अनुभव।
- (3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की वृहत समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/ उसके निप्पादन का अनुभव; या

संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनमें संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक मुख सुविधाओं को व्यवसाय, वृक्ष संव-धंन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि अधि-ग्रहण मंबंधी विधियों,भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर मंपित की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियामों की विशेषज्ञीय जानकारी। वांछनीय:

- (1) सर्वेक्षण मंस्थान में भवन निर्माण और क्वालिटी मर्वेक्षण में डिग्री।
- (2) यजट नियत्रण और सिविल संकर्म को मानीटर करने का जान।
- (3) मित्रिल संकर्मी की संरचना और उसकी योजना बनाने का अनुभव।

(10)

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(12)

, (11)

75 प्रतिशत प्रोत्रति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा।

25 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रति-नियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। प्रोन्नित : ऐसे मुख्य संनिर्माण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण—जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी-

- (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;
- (ii) जिन्होंने 10000-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण:—पेपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना से लैफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य या मेजर/समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी:--

- (1) जिन्होंने उस पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अविध के भीतर 'रिजर्व' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जा सकता है जिसको उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण:—(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

	(13)	(14)	
समूह '	क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में	विचार करने के लिए) लागू नहीं होता	
जिसमें	निम्नलिखित होंगे :		
1.	अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान	। और विकास	
	संगठन	 अध ्यक्ष	
2.	मुख्य नियंत्रक, वैज्ञानिक 'एच' रक्षा अनुसंधान उ	भौर विकास	
	संगठन	सदस्य	
3.	मुख्य कार्यपालक,		
	सिविल निर्माण और संपदा	सदस्य	
4.	निदेशक कार्मिक,		
	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>.</u> संनिर्माण	11* (2000)	सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (तकनीकी)			35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनु- सार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती हैं।)	लागू नहीं होता
	जा सकता है	11			टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के	

(6)

लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, मिकिकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

(१) नहीं

आवश्यक :

(1) सिवल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।

(2) कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का स्थल/क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए या संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने, वृक्ष सवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनमें संबंधित विषयों का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव और भूमि मवेंक्षण तथा भूमि का भूल्यांकन स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेपज्ञीय जानकारी। सिविल संकर्मों के चाल्/अंतिम बिलों को विधीक्षा, संविदा दस्तावेजों/विचलन आदेशों की संवीक्षा करने और संविदाओं के संशोधनों, सिविल संकर्मों के बजट का नियंत्रण, भंडारों की लेखा परीक्षा का कम से कम चार वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर कार्यक्रमण/पद्धति विश्लेपण का शान। वांछनीय :

(1) समयबद्ध परियोजनाओं से संबंधित संकर्मी की योजना बनाने/परिकल्पना करने का अनुभव।

(2) बजट मानीटर करने और संकर्म व्यय का नियंत्रण करने तथा वास-सुविधा संबंधी मानों का ज्ञान। (10)

कवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(12)

(11) ਹਾ ਵਿਸ਼ਕੇ ਜੁਫ਼ੀ ਸ

50 प्रतिशत प्रांत्रति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

सावा मता प्रारा । 50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रति-नियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा। प्रोन्नित: ऐसा उप संनिर्माण इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं।

टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्रित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐमी अर्हक/पात्रता मेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले

पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परित्रीक्षा की अवधि मफलनापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय मरकार की मंगठित इंजीनियरी मेवा के ऐसे मिविलियन अधिकारी-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,
- (ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदो पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं और उसमें अनुभव हैं नथा
- (ন্তু) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहंताए हैं।

टिप्पण-पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना में मेजर/समत्ल्य या केंप्टन/समत्ल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी ---

- (1) जिन्होंने उस पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

ऐसं अधिकारियों को, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 'रिज़र्व' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव हे, भी उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जा सकता है जिसको उन्हें सशस्त्र चल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर चने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण:—[प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय मरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति मे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतक्स आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

		(13)			(14)		
 समूह 'व	₅ ' विभागीय प्रं	न्त्रित समिति (प्रोत्रित	कि संबंध में वि	ाचार करने के लिए)	लागू नहीं होता		
	नम्नलिखित हो						
1.	अध्यक्ष भर्ती	और निर्धारण केन्द्र रह	क्षा अनुसंधान अ	रि विकास			
	संगठन			—अ	^{स्} रक्ष		
2.	निदेशक कार्रि	कि, रक्षा अनुसंधान	और विकास				
	ਸੰ गठन			—स	स्य		
3.	मुख्य कार्यपा	लक,					
	(सिविल निम	णि और संविदा)		सदस्य			
4.	रक्षा अनुसंधा	न और विकास प्रभाग	1				
	का एक अधि	धकारी, जो वैज्ञानिक '	'ভী'/				
	समतुल्य की	पंक्ति से नीचे का न	हो	— स	इस्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
उप-	9*	साधारण केन्द्रीय	8000-275-	योग्यता के आधार	28 वर्ष से अधिक नहीं	लागू नहीं होता	
	л (2000)	सेवा, समूह 'क',			(सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक		
इंजीनिय		राजपत्रित (तकनी			शिथिल की जा सकती है। केन्द्रीय		

[भाग [[—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : दिसम्बर १, २०००/अग्रहायण 18, 1922 851 (2) (6) *कार्यभार के सरकार द्वारा समय-समय जारी किए आधार पर गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनु-परिवर्तन किया सूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ जा सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में ऊपरी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।) (आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) (10) (9) (8) नहीं दो वर्ष आवश्यकः (1) मिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय : (1) वास-सविधा मंबंधी मानों, सिविल संकर्म परि-योजनाए, बनाने परियोजना प्राक्कलनों/संविदा-दम्तावंजः आदि तैयार करने का ज्ञान। (2) अनुमधान और विकास स्थापनों/प्रयोगशालाओं के तकनीकी प्रशासनिक की अधिकल्पना योजना वनाने में अनुभव। (12)(11)प्रोन्नति : ऐसा सहायक संनिर्माण इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। 25 प्रतिशत प्रोत्रित द्वारा, जिसके न हो सकने पर टिप्पण-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी र्मार्धा भर्ती द्वारा। कर ली है, प्रोत्रति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में 75 प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा। भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता मंत्रा के आधे में अधिक से या दो वर्ष में, इनमें में जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापुर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

जियमं निम्नलिखित होंगे :--

ममूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए)

(14)

लागू नहीं होता

		(13)				
1	अध्यक्ष भर्ती	और निर्धारण केन्द्र र	क्षा अनुसंधान अ	ार विकास		
	मंगठन		•	- अध	त्रक्ष	
2	निदेशक कार्मि	तक, रक्षा अनुसंधान	और विकास			
	संगठन			— सट	(स्य	
3	मुख्य कार्यपा	लक,				
	् (मिविल निम	र्गण और संविदा)		सद	स् य	
4	रक्षा अनुसंधा	न और विकास प्रभाग	1			
		थकारी, जो वैज्ञानिक				
	समनुल्य की	पंक्ति से नीचे का न	हो 	— सर	स् य	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	(2)				लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
स्हायक	9*	साधारण केन्द्रीय		योग्यता के आधार	त्यारी नहां हाता	69.7 .161.6170
	(2000)	सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित	10500/- ₺.	पर चयन		
जीनियर		साजपात्रत क (तकनीकी)				
	कायमार आधार पर	क (तपागापम)				
	परिवर्तन वि	ह्या				
	जा सकता					
<u>.</u>	-41					
	(8)			(9)		(10)
	लाग	ू नहीं होता		नहीं		नहीं
					(12)	
		(11)				में तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं।
	וג	त्रति द्वारा		ı ण —जहां ऐसे कनिष	ठ व्यक्तियों के संबंध में जि	न्होंने अपनी अहंक/पात्रता सेवा पूरी रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तिये
				के संबंध में भी ऐसी अहंक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर	विचार किया जाएगा, परन्तु इता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न 1, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट II सेवा पहले पूरी कर ली है, अगल
		(12)		के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में	विचार किया जाएगा, परन्तु इता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न 1, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट II सेवा पहले पूरी कर ली है, अगल
		(13)	× 4 .3.	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाइ वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो।	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट ा सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगर्ल वीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
ममृह '	क' विभागीय	प्रोन्नति समिति (प्रो	त्रति के संबंध में	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट II सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगर्ल वीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें	निम्नलिखित	प्रोन्नति समिति (प्रोन् होंगे :—		के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाइ वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो।	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गः व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगले वीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी
ममूह ' जिसमें 1	निम्नलिखित मुख्य नियंः	प्रोन्नति समिति (प्रो		के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो।	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गः व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगले वीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें 1	निम्नालिखित मुख्य नियंः संगठन	प्रोन्नति समिति (प्रोः होंगे : वक, रक्षा अनुसंधान	और विकास	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो।	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट ा सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगर्ल वीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें	निम्नालिखित मुख्य नियंः संगठन	प्रोन्नति समिति (प्रोन् होंगे :—	और विकास	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो। विचार करने के लिए	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नति के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गा व्रता सेवा के आधे से अधिक से या द हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली है, अगले बीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें 1	निम्नलिखित मुख्य नियंः संगठन निदंशक क संगठन	्रप्रोन्नति समिति (प्रोः होंगे :— वक, रक्षा अनुसंधान गर्मिक, रक्षा अनुसंधा	और विकास	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहिर उच्चतर श्रेणी में कर ली हो। विचार करने के लिए	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नित के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गा व्रता सेवा के आधे से अधिक से या द हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली है, अगले बीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें 1 2.	निम्नलिखित मुख्य नियंद्र संगठन निदंशक क संगठन मुख्य कार्य	्रप्रोन्नति समिति (प्रोः होंगे :— वक, रक्षा अनुसंधान गर्मिक, रक्षा अनुसंधा	और विकास	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहित उच्चतर श्रेणी में कर ली हो। विचार करने के लिए	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐमी अर्हक/पात्रत प्रोन्नित के लिए अपनी परि	यह तब जब कि उनके द्वारा की गा व्रता सेवा के आधे से अधिक से या द हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली है, अगले बीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें 1 2.	निम्मलिखित मुख्य नियंः मंगठन निदंशक क मंगठन मुख्य कार्य (मिविल जि	प्रोन्नति समिति (प्रो होंगे : त्रक, रक्षा अनुसंधान जर्मिक, रक्षा अनुसंधा पालक, नर्माण और संविदा) धान और विकास प्रध्	और विकास न और विकास भाग	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहित उच्चतर श्रेणी में कर ली हो। विचार करने के लिए	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रत प्रोन्नित के लिए अपनी परि अध्यक्ष	यह तब जब कि उनके द्वारा की गा व्रता सेवा के आधे से अधिक से या द हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष् ा सेवा पहले पूरी कर ली है, अगले बीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी
जिसमें 1 2. 3.	निम्मलिखित मुख्य नियंग् संगठन निदंशक क संगठन मुख्य कार्य (सिविल पि स्था अनुसं का एक उ	प्रोन्नित समिति (प्रो होंगे : त्रक, रक्षा अनुसंधान जर्मिक, रक्षा अनुसंधा पालक, नेर्माण और संविदा)	और विकास न और विकास भाग क 'ख'/	के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पाः वर्ष से, इनमें व्यक्तियों सहित उच्चतर श्रेणी में कर ली हो। विचार करने के लिए	विचार किया जाएगा, परन्तु तता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पा से जो भी कम हो, कम न त, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रत प्रोन्नित के लिए अपनी परि अध्यक्ष	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई व्रता सेवा के आधे से अधिक से या दे हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट ा सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगर्ल वीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी

[फा. सं. डी आर डी ओ/17307/निर्माण/एम. पी. डी.] एन. सी. एस. नेगी, उप सचिव

New Delhi, the 13th November, 2000

- S.R.O. 283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Civil Works Cadre) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Gazetted Officers (Group 'A' and Group 'B') posts in the Construction Establishment, Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely -
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation. Ministry of Defence (Civil Works Officers Cadre) Recruitment Rules, 2000.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules
- 3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the schedule aforesaid
 - 4. Disqualifications.—No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons
- 6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay	Whether selec- tion by ment or selection cum- seniority or non-selection post		Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules, 1972	and other qualifications required for direct recruits
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8
Chief Executive (Civil Works and Estates)	1*	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs 18400- 500-22400		Not applicable	Not applicable	Not applicable
	* (2000)	Subject to variati	on depender	at on work load			

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	promotion/deputation/	motion Committee is exists, what is its composition	Circumstance s in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable		Promotion Chief Construction Engineer with five years regular service in the grade Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grad alongwith their junior who have alread completed sucqualifying/eligibility service Deputation: Civilia Officers of the Organise Engineering Services of the Centra Government— (i) holding analogouposts on regular basion (ii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Regular service in posts i	Defence Research and Development Organisation —Chairman 2. Director General, Research and Development —Member 3. Two Chief Controller y Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H' —Members be essembled to the controller y and the controller y	applicable nt

ment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotuton (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarrly not exceed three years The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding lifty-six years as on the closing date of receipt of applications)

1	2	3	4	5
Chief Construction Engineer	4* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs 16400-450-20000	Selection by merit

8

Essential:

Not applicable Not exceeding 50 years (rexable for (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Government servants upto 5 (five) years Mechanical Engineering or in Architecture. in accordance with the instruction or (2) 12 years' experience in planning or execuorders issued by the Central Government tion of civil works from time to time) (3) Experience in planning/ execution of Note The crucial dare for determining major time-bound projects of Workshops/ the age limit shall be the closing date for Factories/Research Establishments. receipt of applications from candidates in India (and not the closing date pres-Experience in Estate management (i.e. encrocribed for those in Assam, Meghalaya, achments, development, usufruts, litigation Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and the matters relating thereto;) Provision of Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divicivic amenities for inhabited estates, arborision of Jammu and Kashmir State, Lahaul culture and environmenal health, civic taxes & Spiti districts and Pangi sub-division of and the matters relating thereto; and expert Chamba district of Himachal Pradesh, knowledge of Land Acquisition Laws, Land Andaman and Nicobar Islands or valuation techniques, rules related to negoti-Lakshadweep) ated purchase/hiring of immovable property

9	10	11
No	One year for direct recruits	By promotion, failling which by deputation or re-employment of ex-service officers, failing
		both by direct recruitment

13

14

Promotion :-

Additional Chief Construction Engineer with five years' regular service.

Note:

- 1. For the purpose of counting of qualifying service, for all the persons holding the post of Joint Director (Works) before 1-1-96, the regular service rendered in that grade is also to be counted
- 2. For the purpose of counting of qualifying service all the persons holding the posts of Joint Director (Works) or/and Addl CCE after 1-1-96, the regular service rendered in the aforesaid grades of Joint Director (Works) and Addl CCE is also to be counted.
- 3 Where jumors who have completed qualifying/eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (Civilian Officers):

Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government—

- (a) (1) Holding analogous posts on regular basis, or
- (ii) with 5 (Five) years' regular service in the posts in the pay scale of Rs 14300-18300 or equivalent, and
- (b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment

Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promption.

Deputation or Re-employment (Service Officers):

Engineer Officers from the Services of the rank of (i) Colonel or equivalent with 5 (five) years' experience in the rank in planning or execution of civil works of major time-bound projects of Workshops/Factories/Research Establishments or Lieutenant Colonel/equivalent with 7

Group 'A' Departmental Promotion Committee Not applicable (for considering promotion) consisting of):—

- Chairman Recruitment and Assessment
 Centre, Defence Research and Development
 Organisation
 —Chairman
- 2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/ Scientist 'H'
 —Member
- 3 Chief Executive (Civil Works and Estates)
 ---Member
- 4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member

(seven) years' regular service in the rank, and

(11) possessing the prescribed experience and educational quialification for direct recruitment. The officers due to retire or those who are to be transferred to 'reserve' category within a period of one year and have the requisite experience and qualification shall also be considered. If selected such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such cligible officers have been retired or have been transferred to 'reserve' before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts)

Note (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of applications).

1	2	3		4	5
Additional Chief Construction Engineer	8* (2000)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs	14300-400-18300	Selection by merit

Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time)

from time to time)
The crucial date for determining
the age limit shall be the closing date for
receipt of applications from candidates in
India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya,
Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahaul
& Spiti district and Pangi sub-division of
Chamba district of Himachal Pradesh,
Andaman and Nicobar Islands or
Lakshadweep)

Not applicable. Essential:

- Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering or in Architecture
 10 years experience in planning or execution of civil works
- (3) Experience in planning/execution of major time-bound projects of Workshops/Factories/ Research Establishments

or

Experience in Estate management (i.e. encroachments, development, usucfructs, and litigation and other matters relating thereto). Provision Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and other matters relating thereto, and expert knowledge of Land Acquisition, Laws, Land valuation techniques, rules related to negotiated purchase/hiring of immovable property

Desirable :

8

Knowledge of scales of accommodation, budget monitoring and quantity surveying

9	10		11	
No Onc yea		r direct recruits.	50% by promotion, failing which by depution, failing both by direct recruitmen 50% by deputation or re-employment of e service officers failing both by direct recrument.	
12		13	Į.	
Promotion: Deputy Chief Construction with five years' regular ser Note: Where juniors who have qualifying/eligibility serviceonsidered for promotion would also be considered are not short of the requicligibility service by mor qualifying service or two less, and have successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful probation period for profitigher grade alongwith talready completed such or successful profit grade grade alongwith talready completed such or successful profit grade g	completed their ice are being their seniors provided they site qualifying, e than half of such years, whichever is ty completed their notion to the next heir juniors who hav	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of):- 1 Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman 2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H' —Member 3. Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member 4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation —Member		Not applicable

Deputation (Civilian Officers):

service

Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government -

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis.
 - (ii) with Five years regular service in the pay scale of Rs 12000-16500 and
- (b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment

Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promo-

Deputation or Re-employment (Service Officers)

Engineer Officers from the Services of the rank of

- (1) Colonel/equivalent, or Lieutenant Colonel/equivalent with 5 years' regular service in the rank and
- (11) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment.

The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' Category within a period of one year and having the requisite experience and qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms.

Note: (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of application).

1	2	3	4	5
Deputy Chief Construction Engineer	10* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs. 12000-375-16500	Selection by merit.

Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government

from time to time).

£

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mampur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Not applicable

8 Essential :

- (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering or in Architecture.
- (2) At least 8 years' experience in planning and execution of civil works.
- (3) Experience in planning/ execution of major time-bound projects of Workshops/Factories/ Research Establishments

Οľ

Experience in Estate management (i.e. encroachment, development, usufructs and litigation and matters relating thereto); Provision of Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and matters relating thereto, and Knowledge of Land Acquisition Laws. Valuation of Land and rules related to negotiated purchasing/hiring of immovable property.

Desirable:

- (1) Degree in Building and quantity surveying from Institute of Surveyors
- (2) Knowledge of Budget Control and monitoring of civil works.
- (3) Experience in formulation and planning of civil works.

Ł

860	THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBERY, 2000	
9	10	11
No	One year for direct recruits	75% by promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment 25% by deputation or re-employment of exservice officers failing both by direct recruitment

12

13

14

Promotion

Construction Engineer with five years regular service in the grade

Note:

Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

Deputation (Civilian Officers)

Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government:-

- (a) (1) Holding analogous posts on regular
 - (11) with (five) years regular service in the pay scale of Rs 10000-15200, and
- (b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment

Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promption

Deputation or Re-employment (Service Officers)

Engineer Officers from the Services of the rank of

Group 'A' Departmental Promotion Committee Not applicable (for considering promotion consisting of) :-

- 1 Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development ---Chairman Organisation
- 2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H'
 - -Member
- 3 Chief Executive (Civil Works and Estates)
 - -Member
- 4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation -- Member

13

14

(1) Lieutenant Colonel/equivalent, Major/ equivalent with 5 (five) years regular service in the rank, and

(ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment.

The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' category within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms.

Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
Construction Engineer	11* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs. 10000-325-15200	Selection by merit
	<i>L</i>	7		8

Not exceeding 35 years [relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time]

6 .

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Not applicable.

Essential:

- (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering or in Architecture.
- (2) At least 4 years' experience in planning and execution of works out of which at least 2 years should be on site/field

Or

Atleast 4 years experience in Estate Management (i.e. encroachment, developments, usufructs and litigation and matters relating thereto): Provision of Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and matters relating thereto: and experience of land survey and Land acquisition, Valuation of land rules related to negotiated purchase/hiring of immovable property.

O

Atleast 4 years, experience in vetting of running/final bills of civil works, scrutiny of contracts documents/deviation orders and

promotion

ĸ

L.

13

14

Deputation or Re-employment (Service Officers)

Engineer Officers from the Services of the rank of (1) Major/equivalent, or Captain/ equivalent with 5 years' regular service in the rank, and (ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment

The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' category within a period of one year and having the requisite experience shall also be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms

Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

1	2.	3	4	5
Deputy Construction Engineer	9* (2000) *Subject to variation dependent on worklo	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical) ad.	Rs. 8000-275-13500	Selection by merit
	6	7		8

Not applicable.

Not exceeding 28 years [relaxable for Government servants upto 5 (five) years The upper age limits relaxable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time]. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from cadidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu Kashmir State, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep].

Essential:

Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering or in Architecture. Desirable .

- (1) Knowledge of scales of accommodation, formulation of civil works projects, preparation of project estimates/contract documents etc
- (2) Experience in designing or planning of technical administrative buildings of Research and Development Establishments/ Laboratorics

864	THE GAZETTE OF INDIA . DE	CEMBER 9, 2000/AC	GRAHAYANA 18, 1922	[Part II—Sec 4	
9	10		11		
No	Two years	25% by promotion, failing which by direct recruitment. 75% by direct recruitment.			
	2	13		14	
years' regr Note; Where jury qualifying considered would also are not she chigibility such quality whichever completed promotion their junio	Construction Engineer with five alar service in the grade. Hors who have completed their service are being a for promotion, their seniors are be considered provided they not of the requisite qualifying service by more than half of fying service or two years, as less, and have successfully their probation period for to the next higher grade along with rs who have already completed	(for considering prof.). Chairman Recruit Centre, Defence Res Organisation 2 Director of Person and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development from Research and Development Officer not belease of the C'/Equivalent from Research and Development	—Member Civil Works and Estates) —Member ow the rank of Scientist Department of Defence	e Not applicable.	
such quan	fying/eligibility service				
1	2	3	4	5	
Assistant Construct Engineer	9* on (2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted (Technical	Rs 6500-200-10500	Selection by merit	
6		7		8	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	
9		10		11	
No.		No		By promotion	
12		13		14	
Promotion Senior En years region Note: Where just qualifying considered would also are not she cligibility such qualifying vears which the promotion of the pro	nigineer Assistant with three alar service in the grade more who have completed their geligibility service are being d for promotion, their semors to be considered provided they nort of the requisite qualifying/ service by more than half of lifying/eligibility service or two, inchever is less, and have successibilited their probation period for	(for considering production of the Controller Development Organs) 2 Director of Perso and Development Controller Street An officer not be 'B'/Equivalent from Research and Development Controller of the Controll	—Member (Civil Works and Estates) —Member clow the rank of Scientist in Department of Defence		